न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 37/2018/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 12.02.2018	तारीख फैसला 28.02.2018

उनवान

1– पन्नालाल पिता श्रीकिशन माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
2– महावीर पिता श्रीकिशन माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
3– कालू पिता रूघनाथ माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
4– रामलाल पिता रूघनाथ माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
5– उदी बेवा रूघनाथ माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
6– गोकल पिता नन्दा माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
7– कल्याण पिता नन्दा माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां

– प्रार्थीगण

बनाम

1– कालू पिता राजू माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
2– रमजू पिता सुलेमान पिनारा निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
3– गोपाल पिता काशीलाल ब्राम्हण निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
4– सम्पत पिता धीसा माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
5– रामलाल पिता हरिकिशन निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
6– छोटू पिता रामनाथ माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
7– मोहन पिता गोकल माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
8– मिठू पिता धन्ना माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
9– सांवरा पिता धन्ना माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
10–सुमित्रा पिता धन्ना माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
11–राधा बेवा धन्ना माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
12–गोपाल पिता रामनाथ माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
13–ऐजी बेवा रामनाथ माली निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री विजय पाराशर : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 587 आ0न0 3141 रकबा 0.27 है0, आ0न0 3141/5426 रकबा 0.19 है0, आ0न0 3141/5427 रकबा 0.35 है0, आ0न0 3142 रकबा 0.64 है0, आ0न0 3156 रकबा 0.03 है0, आ0न0 3157 रकबा 0.05 है0, आ0न0 3158 रकबा 0.17 है0, आ0न0 3159 रकबा 0.29 है0 आराजी कुल किता 08 रकबा 1.99 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 7 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। विपक्षी संख्या 8 लगायत 13 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को विपक्षी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां संवत 2072 से 75 के खाता खाता संख्या 587 आ0न0 3141 रकबा 0.27 है0, आ0न0 3141/5426 रकबा 0.19 है0, आ0न0 3141/5427 रकबा 0.35 है0, आ0न0 3142 रकबा 0.64 है0, आ0न0 3156 रकबा 0.03 है0, आ0न0 3157 रकबा 0.05 है0, आ0न0 3158 रकबा 0.17 है0, आ0न0 3159 रकबा 0.29 है0 आराजी कुल किता 08 रकबा 1.99 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 587 आ0न0 3141 रकबा 0.27 है0, आ0न0 3141/5426 रकबा 0.19 है0, आ0न0 3141/5427 रकबा 0.35 है0, आ0न0 3142 रकबा 0.64 है0, आ0न0 3156 रकबा 0.03 है0, आ0न0 3157 रकबा 0.05 है0, आ0न0 3158 रकबा 0.17 है0, आ0न0 3159 रकबा 0.29 है0 आराजी कुल किता 08 रकबा 1.99 है0 के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 800/– (अक्षरे आठ सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलां, जिला–भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
फूलिया कलां, जिला–भीलवाडा